न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट खागा, फतेहपुर।

CNR. No.UPFT– 1200–2526–2026

जमानत प्रार्थनापत्र संख्या–364/2026

सरकार बनाम शिवशंकर आदि

मु०अ०सं०–177/2025
धारा–115(2),352,351(3) बी०एन०एस०
थाना–खागा, जनपद फतेहपुर।

<u>दिनांक 02.06.2026</u>

प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र प्रार्थीगण/अभियुक्तगण शिवशंकर, जितेन्द्र सिंह, जयकरन सिंह व अरविन्द सिंह की ओर से मु०अ०सं०–177/2025, धारा–115(2),352, 351(3) बी०एन० एस०, थाना–खागा जनपद फतेहपुर के अंतर्गत प्रस्तुत किया गया है।

प्रार्थीगण का संक्षेप में कथन है कि प्रार्थीगण निर्दोष हैं। प्रार्थीगण को मुकदमा उपरोक्त में रंजिशन व झूठा फंसाया गया है। प्रार्थीगण ने किसी के साथ कोई मारपीट व गाली गलौज व जान से मारने की धमकी नहीं दी है। प्रार्थीगण ने आरोपित अपराध कारित नहीं किया है। प्रार्थीगण का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। प्रार्थीगण न्यायिक अभिरक्षा में हैं। प्रार्थीगण अपनी जमानत का दुरुपयोग नहीं करेंगे। अतः प्रार्थनापत्र स्वीकार किये जाने की याचना की गई है।

विद्वान सहायक अभियोजन अधिकारी प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र पर सुनवाई के लिए अनुपस्थित हैं।

सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

पत्रावली के अवलोकन के विदित है कि आरोप पत्र न्यायालय में प्राप्त हो चुका है। अभियुक्तगण आत्मसमर्पण कर न्यायालय के समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हैं। अभियुक्तगण पर आरोपित अपराध 7 वर्ष से कम की सजा से दण्डनीय है। अतः प्रकरण के तथ्य एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए अभियुक्तगण को जमानत पर रिहा किये जाने का आधार पर्याप्त है।

<u>आदेश</u>

अभियुक्तगण शिवशंकर, जितेन्द्र सिंह, जयकरन सिंह व अरविन्द सिंह द्वारा प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाता है। अभियुक्तगण प्रत्येक द्वारा मु. 20,000/– बीस हजार का व्यक्तिगत बन्धपत्र एवं समान धनराशि की एक प्रतिभू प्रस्तुत करने पर जमानत पर रिहा किये जाए।

दिनांक –02.06.2026

(शुभ्रा प्रकाश)
न्यायिक मजिस्ट्रेट,
वाह्य न्यायालय खागा, फतेहपुर।
J.O.Code–UP3434